परिपत्र संख्या– 10 /लो0शि0(7)/का0परि0/04/2016–19.

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक–12 अप्रैल, 2019

विषयः– शिकायती प्रकरणों की जांच रिपोर्ट समयान्तर्गत मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बध में।

ज्ञातव्य है कि विभिन्न स्तरों से कारागार मुख्यालय में प्राप्त शिकायती पत्रों को समय–समय पर परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार/वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी कारागार अधीक्षक को सम्यान्तर्गत जांच कर, जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय द्वारा सन्दर्भित किए जाते हैं।

2. प्रायः यह देखा जा रहा है कि जांच अधिकारियों द्वारा मुख्यालय से जांच हेतु सन्दर्भित अति–महत्वपूर्ण/समयबद्ध शिकायती प्रकरणों (विशेष रूप से आई0जी0आर0एस0 से आच्छादित प्रकरण) में स्पष्ट निर्देश जारी करने तथा निरन्तर स्मृति पत्र प्रेषण के उपरान्त भी समयान्तर्गत जांच कार्य पूर्ण कर, जांच आख्यायें मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं, जिससे शिकायती प्रकरण अनावश्यक रूप से कई वर्षों तक लम्बित बने रहते हैं, जिस कारण शासन द्वारा उक्त प्रकरणों की समीझा बैठक में घोर अप्रसन्ता व्यक्त की जाती है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं कही जा सकती है। आप सहमत होंगे कि इतनी लम्बी अवधि तक जांच लम्वित रखने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक विलम्बित जांच रखने से अनावश्यक समय, साधन एवं उर्जा का अपव्यय भी होता है, जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की विलम्बित जॉचें केवल खानापूर्ति मात्र होती हैं, जिससे कारागार प्रशासन तथा शिकायतकर्ता को कोई गुणात्मक लाभ नहीं मिल पाता है।

3. अतः उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय स्तर से जांच हेतु सन्दर्भित समस्त शिकायती प्रकरणों, विशेष रूप से आई0जी0आर0एस0 से आच्छादित प्रकरणों की भविष्य में समयान्तर्गत जांच कार्यवाही पूर्ण कर, जांच आख्या प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शिकायती प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से होता रहे। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित दोषी जांच अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11/4/19
(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।